

14/12/20

प्रवासी पेश डी वकील उमरपुत्र उपस्थित
प्रकरण से संबंधित मूल वाद प्रकरण नं. 63/2017
में आज दिनांक 14.12.20 को ऑरिजन सिविल
पारित हो चुका है अतः प्रार्थना पत्र को चलाने
का कोई औचित्य नहीं है। दिनांक 24.7.17.
को जारी आर्चाई सिविल कोर्ट कादेश को समाप्त
किया जाता है। प्रवासी सिविल होकर मूल
वाद के लिये संलग्न की जाकर फाइल शुद्ध है।

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला आखावाड़ (सज०)